न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– रोहित कुमार R.A.S. बालोतरा

राजस्व वाद सं. 115/2003

वादी

खीमाराम पुत्र सावलराम के कायम मुकाम

1/1 हड़मानाराम पुत्र खीमाराम जाति कलबी चौधरी 1/2 हिमताराम पुत्र खीमाराम

1/3 सुखोदेवी बेवा खीमा जाति कलबी चौधरी 1/4 जसोदेवी पुत्री खीमाराम जाति कलबी चौधरी

2 चतराराम पुत्र सांवलराम जाति कलबी चौधरी 3. मृतक शिवा पुत्र रामाजी के कायम मुकाम

3/1. नेमाराम पुत्र शिवा जाति कलबी चौधरी 3/2. भीमाराम पुत्र शिवाराम जाति कलबी चौधरी

3/3. मृतक भंवराराम पुत्र शिवाराम के का मुकाम 3/3/1 कविता पुत्री भवराराम जाति कलबी चौधरी

3/3/2 गोपाल पुत्र भवराराम 3/3/3 कान्ता पुत्री भंवराराम उम्र 15 वर्ष

3/3/4 मोहित पुत्र भवराराम उम्र 10 वर्ष वादी सं. 3/3/3 व 3/3/4 नाबालिग जरिये कुदरती वली बहिन कविता पुत्री भंवराराम 3/4 छोगीदेवी पुत्री शिवा पत्नि लालारामजी जाति कलबी चौधरी निवासी बिठुजा 3/5 मीरोदेवी पुत्री शिवाराम पत्नि श्री हेमाराम

3/6 मृतक मथरादेवी पुत्री शिवा के कायम मुकामात 3/6/1 देवाराम पुत्र चतराराम जाति कलबी

3/6/2 मंजुदेवी पुत्री देवाराम पत्नी बाबुलाल जाति कलबी चौधरी निवासी किटनोद

3/6/3 रमेश पुत्र देवाराम जाति कलबी चौधरी 3/6/4 पिंकी पुत्री देवाराम पत्नी दिनेश जाति कलबी चौधरी निवासी पारलू 3/7 पानीदेवी पुत्री शिवा पत्नि श्री नारायणरामजी जाति कलबी चौधरी निवासी कनाना 4. मृतक जयरूपाराम पुत्र रामाजी के कायम मुकामात 4/1 मानाराम पुत्र जयरूपाराम 4/2 सिणगारी पुत्री जयरूपाराम पत्नि जगमालराम पत्नी जगमालराम निवासी सराणा 4/3 पूरो पुत्री जयरूपाराम पत्नि लादाराम निवासी कुम्पावास तह. सिवाना 4/4 झीमो पुत्री जयरूपाराम पत्नि सांवलराम निवासी जानियाना 4/5 मोरी पुत्री जयरूपाराम पत्नि कानाराम निवासी सराणा 4/6 राधा बेवा वगताराम जाति कलबी चौधरी 4/7 पार्वती पुत्री वगताराम पत्नि पुरखाराम निवासी सराणा 4/8 मु. कमला पुत्री वगताराम पत्नि ओमाराम निवासी कनाना 4/9 गोविन्दराम पुत्र वगताराम जाति कलबी चौधरी 4/10 रूपी पुत्री वगताराम 4/9 व 4/10 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता राधादेवी बेवा वगताराम 5. मृतक गणेशाराम पुत्र रामाजी के कायम मुकामात 5/1 मोटाराम पुत्र गणेशाराम जाति कलबी चौधरी 5/2 नारायणराम पुत्र गणेशाराम जाति कलबी चौधरी 5/3 ओमाराम पुत्र गणेशाराम जाति कलबी चौधरी निवासी सराणा 5/4 भंवरीदेवी पुत्री गणेशाराम पत्नि लच्छाराम जाति कलबी चौधरी निवासी कनाना 5/5 मैथी पुत्री गणेशाराम पत्नि दुर्गाराम जाति कलबी चौधरी निवासी बिठुजा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मृतक वीरा पुत्र नगाजी के कायम मुकामात 1/1 लच्छुदेवी पत्नि वीराराम 1/2 तेजाराम पुत्र वीराराम 1/3 चेलाराम पुत्र वीराराम जाति कलबी चौधरी 1/4हड़मानारामपुत्र वीराराम 1/5 रम्भा पुत्री

...2...

Scanned by CamScanner

वीराराम पत्नि रूघनाथराम 1/6 मौकी पुत्री वीराराम पत्नि जवाराराम जाति कलबी चौधरी जाति कलबी चौधरी निवासी उण्डर बेरा सराणा 1/7 श्रीमती गोमी पुत्री वीराराम पत्नि वगताराम 1/8 श्रीमती चम्पा पुत्री वीराराम पत्नि शंकराराम जाति कलबी चौधरी निवासी बालका बेरा सराणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

वाद बाबत अधिकार घोषणा, रेकर्ड सुधार एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक:- 04/02/2020

निर्णय

वादी ने न्यायालय में वर्तमान वाद अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड़ दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का वाद पत्र इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, कि जागीर गांव सराणा तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमियां खसरा संख्या 587 क्षेत्रफल 55 बीघा 01 विस्वा, खसरा संख्या 587/829 क्षेत्रफल 16 विस्वा अवस्थित रही हैं एव खसरा संख्या 584 क्षेत्रफल 2 बीघा 01 विस्वा गैर मुमकिन सड़ा भी अवस्थित है, खसरा संख्या 584 जो वादग्रस्त कृषि भूमि 'ब' बेरा जो उडर के नाम से प्रसिद्ध है के, बेरे मय सड़ा में वादीगण का 2/3 हिस्सा था तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 के हकपुर्वाधिकारी वीरा था, इसी अनुसार मौके पर काश्त आज दिन तक रहा हैं किन्तु उक्त सालिम वादग्रस्त भूमि ख सं 587, 587/829 कुल क्षेत्रफल 55 बीघा 17 विस्वा भूमि पर वक्त जागीर एवं दिनांक 15.10.1955 को एवं आज दिन तक एक मात्र निरन्तर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के शान्तिपूर्वक तरीके से एक मात्र वादीगण का ही रहा व आज रोज भी वादीगण का ही है, परन्तु वक्त भू-प्रबन्ध सेटलमेन्ट के विभाग कर्मचारियों ने सहवन से त्रुटि कारित कर प्रतिवादी सं. 1 वीरा का नाम भी वादग्रस्त भूमि 'अ' खसरा संख्या 587, 587/829 में वादीगण के साथ राजस्व अभिलेख खतौनी में जोड़कर दर्ज कर दियाजो एक लिपीकीय भूल की श्रेणी में आती है, किन्तु वास्तव में उपरोक्त खसरा संख्या 587, 587/829 में कोई कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 वीरा एवं वर्तमान में उनके वारिसान का कभी भी नहीं रहा और न उनका कोई दखल/हस्तक्षेप वादीगण के कब्जे में ही रहा।परम्परा से अर्थात वक्त जागीर से आज दिन तक वादीगण कृषि भूमि खसरा संख्या 587, 587/829 एवं उनकी अन्य कृषि भूमियां 583, 585 और 586 में बेरा 'उडर' से वादीगण अपने 2/3 हिस्से के पानी से सिंचाई करते रहे हैं एवं इसी प्रकार प्रतिवादी वीरा भी बेरा 'उडर' में अपने 1/3 हिस्से की पानी से उसकी अलग खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 581 व 582 में करता रहा था, जिसका नक्शा वादपत्र के सलग्न है। प्रतिवादी वीरा एवं वर्तमान में उनके कायम मुकाम ने कभी भी वादीगण के एक मात्र कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 587, 587/829 की भूमि में न तो कभी काश्त की और न आज दिन तक उन्होंने ऐसा अनाधिकृत प्रवेशही किया और न ऐसा करने का कोई अधिकार ही प्राप्त था। प्रतिवादी वीरा जो वादीगण के गौत्री भाई लगता था तथा उसने कृषि भूमि खसरा संख्या 587, 587/ 829 में वादीगण के हितों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं किया, ताहम भी प्रतिवादी वीरा की आयु 70 वर्ष की जईफी होने से उसके पुत्रान गलत प्रविष्टियो की आड़ में इन दिनों कृषि भूमियों की कीमतों में वृद्धि हो जाने की वजह से उनके पुत्रान वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1/2 ता 1/4 एवं उनकी पुत्रियों 1/5 ता 1/8 व उनकी बेवा उपरोक्त गलत प्रविष्टियों की आड़ में वादीगण के कब्जा काश्त में अवैध व अनुचित दखल हस्तक्षेप की मंशा रखते है । इसलिए वादीगण को कृषि भूमि खसरा संख्या 587, 587/829 कुल रकबा 55 बीघा 17 विस्वा में प्रतिवादी का नाम हटाने हेतु पेश किया है ।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मनस तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ने न्यायालय में जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि, "दिनांक 15.10.1955 को व उसके बाद निरन्तर प्रतिवादी का ही कब्जा है, सही तौर से रेकर्ड़ में अमल दरामद किया गया, वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा है, तथाशेष हिस्सा खीमा चतरा पिसरान सावंला का 1/3 हिस्सा शिवा, जैरूप, गुणेशा, पिता रामा का 1/3 हिस्सा है, प्रतिवादी ने वादीगण के हितो के विरूद्ध कोई कार्य नही किया है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादी का है, वादी का यह कथन गलत है, कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 को काश्त करने का कोई अधिकार नही हो। प्रतिवादी सं. 01 का जो 1/3 हिस्सा जो सयुक्त खातेदारी का है, जिसका बंटवाड़ा कराना आवश्यक होने से वर्तमान काउन्टर क्लेम बंटवाड़े के अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रतिवादी ने लगान अदा किया था, वादीगण ने प्रतिवादीगण के हिस्से से इंकार किया है, इसलिये प्रतिवादी अपना हिस्सा जरीये बंटवाड़ा अलग कराना चाहता है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

.....3....

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का जवाव वादीगण की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी 'अ' रकबा 55.17 बीघा पर कभी भी प्रतिवादी सं. 01 या उनके हकपुर्वाधिकारी का कभी भी आज दिन तक कब्जा नही रहा, खसरा गिरदावरी में नगा का नाम या प्रतिवादी सं. 01 का नाम दर्ज नही है, लगान वादीगण के द्वारा अदा किया जाता रहा है, जिसकी रसीदात वादीगण ने पेश की है, प्रतिवादी विरा या उसके पिता नगा का वादग्रस्त 'अ' भुमियो के बाबत् कभी कोई संविदा प्रतिवादी के साथ नही रही, खसरा गिरदावरी संवत् 2014–2017 एउवं 2018–2019 में भी भूमि खसरा संख्या 587, 587/829 में कब्जा काश्त एक मात्र वादीगण एवं उनके हकपूर्वाधिकारी ही रहे है । पूरे गिरदावरी अभिलेख में प्रतिवादी वीरा या वीरा के पिता नगा का नाम अंकित नहीं रहा । गिरदावरी अभिलेख सक्षम राजस्व कर्मचारियों के द्वारा तैयार सुदा सही दस्तावेज है । प्रतिवादी वीरा या वर्तमान में उनके वारिसान कोई कृषि भूमि खसरा संख्या 587, 587/829 कुल रकबा 55 बीघा 17 विस्वा के बंटवाड़ा कराने के अधिकारी नहीं है । राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज अवैध एवं त्रुटियुक्त प्रविष्टियो की आड़ में प्रतिवादी सं. 01 के पुत्रान ने अनुचित ओछी सोच एवं अवैध स्वार्थ से ग्रसीत होकर काबिज वादीगण के कब्जे में दखल हस्तक्षेप का अनुचित प्रयास की धमकीया दी जाने लगी, तब वर्तमान दावा सही तौर से पेश किया।

दोनो पक्षो की ओर से लिखित अभिवचन प्रस्तुत होने पर निम्न तनकीयात कायम की गयी :–

तनकीयात 1 – आया वादीगण मौजा सराणा के खेत खसरा सं. 587 रकबा 55.01 बीघा, 587/829 रकबा 0.16 बीघा कुल 55.17 बीघा में खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है ? – वादीगण

तनकीयात 2 – आया वादीगण प्रतिवादी सं. 01 का नाम राजस्व अभिलेख से जरीये सुधार की प्रविष्टियो से हटवाने का अधिकारी है ? – वादीगण

तनकीयात 3 – आया वादीगण विवादित भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी सं. 01 के खिलाफ परिशिष्ट अ के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ? – वादीगण

तनकीयात 4 – आया प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारी है ? – प्रतिवादीगण

तनकीयात 5 – सहायता ?

तनकी सं. 01 ता 03 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, वादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु पी.डब्ल्यु 01 के तौर पर गुणेशाराम का शपथ पत्र दिनांक 28.06.2011 को पेश किया, किन्तु गुणेशाराम की मृत्यु हो जाने के बाद वादी की ओर से पी.डब्ल्यु 01 मानाराम एवं पी. डब्ल्यु 02 भुराराम कें बयान कलमबद्ध करवाये, दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 01 से प्रदर्श 12 अंकित करवाये। तनकी सं. 04 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था, को साबित करने हेतु प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी सं. 1/4 हनुमानाराम का शपथपत्र पेश किया, जिस पर जिरह होने से पहले ही पक्षकारान् ने न्यायालय में दिनांक 25.01.2018 को एक राजीनामा पेश किया कि माफिक आपसी राजीनामा प्रतिवादी सं. 01 के कायम मुकाम ने यह तय किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 587 रकबा 55.01 बीघा, खसरा सं. 587/829 रकबा 16 विस्वा में प्रतिवादी वीराराम का जो नाम दर्ज है, वो सही तरह से दर्ज नही है, मौके पर कब्जा काश्त वादीगण का ही होने से प्रतिवादी का नाम रेकर्ड़ से हटाना तय किया है, तथा वादीगण को उक्त भूमि के सम्पुर्ण रकबे का खातेदार घोषित किया जावे, उक्त घोषणा में जो प्रतिवादीगण से 1/3 हिस्सा वादीगण से प्राप्त होगा, उसमें वादी सं. 01 व 2 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 3, 4, 5 प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्सा प्राप्त होगा। वक्त सेटलमेंट से वादीगण का एवं वादीगण के पुर्वजो का ही कब्जाकाश्त रहा, और उनके द्वारा ही लगान अदा किया जाता रहा है, और इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/4 के हकपुर्वाधिकारी वीराराम का नाम हटाया जाकर सम्पुर्ण भूमि में खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे, उसमें प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/4 को कोई उज्र एतराज नही है, उक्त राजीनामा स्वैच्छा से निष्पादित किया है, जो सही व सनद रहे, तथा खसरा सं. 584 में वर्तमान रेकर्ड़ अनुसार यथावत रखा जावे, प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम जरीये विड्रोल खारिज किया जावे, इसी अनुसार राजीनामा की रूह में डिक्री जारी की जावे। न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2018 को उक्त राजीनामा बाद जांच स्वीकार कर तस्दीक किया जाकर प्रतिवादी सं. 1/1 लच्छु देवी, 1/2 तेजाराम, 1/3 चेलाराम, 1/4 हड़मान की हद तक स्वीकार कर डिकी किया, तथा उनके हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

...4.....

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं. 1/5 ता 1/8 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत नही हुआ इसकारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी सं. 1/5 ता 1/8 हेतु मुर्कर की, किन्तु दिनांक 07.02.2018 के लिये अवसर दिया गया, उसके बाद में दिनांक 15.02.2018 को 04 हजार रूपये की कोस्ट पर अवसर दिया गया, उसके बाद दिनांक 15.03.2018 को एक आवेदन पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पेश किया, जिसका जबाव उसी रोज पेश होने पर बहस हेतु पत्रावली चलती रही, अन्ततः दिनांक 19.09.2019 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी खारिज की गई, और साक्ष्य प्रतिवादी सं. 1/5 ता 1/5 हेतु तारीख 10.10.2019 को मुर्कर की, उसके बाद दिनांक 03.12.2019 को 11.12.2019 को 18.12.2019 को प्रकरण वर्ष 2003 से लंबित होने के बावजुद भी साक्ष्य पेश नही करने की स्थिति में दिनांक 24.12.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी सं. 01/5 ता 1/8 का अवसर बंद किया गया।

बहस अंतिम सुनी गई।

वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमियां 'अ' 587, 587/829 कुल रकबा 55.17 बीघा पर कभी कोई कब्जा प्रतिवादी सं. 1 वीरा या उनके वारिसान या पुर्वजो का नही रहा, इस सम्बंध में लिखित बहस भी पेश की।

तनकीवार निर्णय –

तनकी सं. 01 – आया वादीगण मौजा सराणा के खेत खसरा सं. 587 रकबा 55.01 बीघा, 587/829 रकबा 0.16 बीघा कुल 55.17 बीघा में खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है ? – वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने के भार वादीगण पर था, के सम्बंध में मौखिक साक्ष्य पी डब्ल्यु 01 ने अपने मौखिक बयान कलमबद्ध करवाये, साथ ही खसरा गिरदावरी सम्वत 2014, 2015, 2016, 2017 प्रदर्श 01 पेश की, जिसके कोलम सं. 24, 40 में काश्त खीमा वल्द सावल, सवा गणेश, पुत्रान रामा, दर्ज है, इसी प्रकार लगान रसीद प्रदर्श 02 दिनांक 01.05.1956 भी सावला शिविया, मदरूपा, गणेशा, के नाम की है, प्रदर्श 03 लगान रसीद सावलिया, शिविया, गणेशा, जैरूपा, सम्वत् 2013 दिनांक 02.09.1957, प्रदर्श 04 लगान रसीदात सावलिया, शिविया, गणेशा, जैरूपा, सम्वत् 2014 दिनांक 13.02.1958, प्रदर्श 05 लगान रसीदात सावल, शिविया वगैरा सम्वत 2015 दिनांक 17.08. 1959, प्रदर्श 06 लगान रसीदात सावल, शिविया, गणेशा, जैरूपा, पिसरान रामा सम्वत् 2019 दिनांक 24.05.1963, प्रदर्श 07 लगान रसीदात सावलिया, शिविया, गणेशा, जैरूपा, सम्वत् 2020–21 दिनांक 15.01.1965, प्रदर्श 08 लगान रसीदात खीमा, छतरिया, पि सावलिया, शिविया, जैरूपा, गणेशा, पिसरान रामा सम्वत् 2021–22 दिनांक 06.04.1966, प्रदर्श 09 लगान रसीदात सावलिया, शिविया, गणेशा, जैरूपा, सम्वत् 2016 दिनांक 10.06.1968, प्रदर्श 10 लगान रसीदात सावलिया, शिविया, गणेशा, जैरूपा, सम्वत् 2024 दिनांक 19.06.1968, प्रदर्श 11 लगान रसीदात खीमा, छतरा, पि सावलिया, शिविया, गणेशा, जैरूपा, सम्वत् 2022–23–24 दिनांक 21.04.1968, उपरोक्त प्रदर्शो में प्रदर्श 05, प्रदर्श 06, प्रदर्श 07, प्रदर्श 08, प्रदर्श 09, प्रदर्श 11 में लगान कुल 57 बीघा 18 विस्वा भूमि का वादीगण एवं उनके हकपुर्वाधिकारी द्वारा लगातार अदा किये जाने का अंकन है, मौके पर सम्वत 2012 से लगातार काश्त भी अकेले वादीगण का ही है, इस सम्बंध में प्रदर्श 01 खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 में दर्ज प्रविष्टियो से ही साबित है। इसके अतिरिक्त मृतक प्रतिवादी सं. 01 के कायम मुकाम पुत्रान तेजाराम चेलाराम हड़मानाराम, एवं उनकी बेवा लच्छुदेवी ने भी मौके पर वादीगण एवं उनके हकपुर्वाधिकारीयो का लगातार कब्जा होने व रहने व लगान भी वादीगण द्वारा ही अदा करने के तथ्यो के बाबत लिखित सस्वीकृति भी दी है, जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/4 के हिस्से तक वादीगण को खातेदार भी घोषित दिनांक 25.01.2018 को किया जा चुका है। वादी की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खण्ड़न में प्रतिवादी सं. 1/5 ता 1/8 के द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, इस कारण इस सम्बंध में जो साक्ष्य वादी की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है, उसे नही मानने का कोई कारण विद्यमान नही है, वादीगण ने यह कथन किया है, कि खसरा सं. 584 जो उडर बेरा के नाम से प्रसिद्ध है, के बेरे में से प्रतिवादी के खेत खसरा सं. 581, 582 में काश्त की जाती थी, उसकी सिचाई बेरा उडर से की जाती थी, बेरा उडर जिसके खसरा सं. 584 है, के रेकर्ड़ में प्रतिवादी का नाम दर्ज होना था, किन्तु खसरा सं. 587, 587/829 व खसरा सं. 584 की खताानी एक हो जाने की वजह से उसमें प्रतिवादी का नाम सहवन से गलत दर्ज हो गया, मौके पर कभी भी कब्जा नही रहा, इस सम्बधं में नक्शा लटटा ट्रेस का अवलोकन किया, खसरा सं. 581, 582 में वादीगण का नाम दर्ज नही है, खसरा सं.

....5.....

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

581, 582 व 587 के सेढे आपस मे मिलते है, इस प्रकार खसरा सं. 587, 587/829 की भूमि में प्रतिवादी वीरा का नाम त्रुटिवंश दर्ज होनावादीगण ने साबित किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

तनकीयात 2 – आया वादीगण प्रतिवादी सं. 01 का नाम राजस्व अभिलेख से जरीये सुधार की प्रविष्टियो से हटवाने का अधिकारी है ? – वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था, तनकी सं. 02 तनकी नं. 01 की अनुसागिक तनकी है, चुकि तनकी नं. 01 का निर्णय वादीगण के पक्ष मे हुआ है, इसलिये वादीगण माफिक घोषणा प्रतिवादी का नाम सम्पुर्ण रूप से खसरा सं. 587, 587/829 हटाने का अधिकारी है, और इसी अनुसार रेकर्ड़ दुरस्त करने का अधिकारी है, इस प्रकार उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकीयात 3 – आया वादीगण विवादित भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी सं. 01 के खिलाफ परिशिष्ट अ के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ? – वादीगण

तनकी नं. 01 व 02 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया गया है, इसलिये वादीगण खसरा सं. 597, 587/829 कुल रकबा 55.17 बीघा के खातेदारी हक पाने के अधिकारी पाये गये है, प्रतिवादी का नाम हटाने के अधिकारी पाये गये है, इसलिये वादीगण उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी के द्वारा किये जाने वाले दखल हस्तक्षेप को रोकने के अधिकारी होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध कारित नही करे। इस प्रकार उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकीयात 4 – आया प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारी है ? – प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था, प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/4 ने न्यायालय में दिनांक 25.01.2018 को लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर अपनी संस्वीकृति दी की, भूमिया खसरा सं. 587, 587/829 के सम्पुर्ण रकबे पर वादीगण का ही कब्जा है, और उनके द्वारा ही लगान अदा किया जाता रहा है, इसके आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया गया, उनकी ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को जरीये विड्रोल खारिज किया गया, प्रतिवादी सं. 1/5 ता 1/8 के द्वारा अपनी उक्त तनकी के सम्बंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य मोखिक या दस्तावेजी पेश नही की है, इस कारण बिना साक्ष्य के अभाव में उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादी सं. 1/5 ता 1/8 के विरूद्ध किया जाता है। और प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

सहायता –

चुकि वादीगण के जिम्मे रखी तनकी सं. 1 ता 3 वादीगण ने बखुबी अपने पक्ष में साबित की है, इसलिये वादीगण का वाद स्वीकार कर खेत खसरा सं. 587 रकबा 55.01 बीघा, खसरा सं. 587/829 रकबा 16 बिस्वा कुल रकबा 55.17 बीघा मौजा सराणा का खातेदार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/8 के हक पुर्वाधिकारी विरा पुत्र नगा का नाम रेकर्ड़ से हटाने का आदेश दिया जाता है, खसरा सं. 584 रकबा 2.01 बीघा में नाम यथावत रहेगे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध कारित नही करे। खर्चा अपना अपना वहन करें, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज तारीख 4/2/20 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर (S.D.O.), बालोतरा